



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं0 पटना 940) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

vf/kl puk

11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 195, दिनांक 11 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रैमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे,-

- (i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैतीस प्रतिशत; या

- (ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां -

- (क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;
- (ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रैमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-2285)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 195, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-2285)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 11th December 2020

S.O. 195, Dated 11th December 2020— In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

- (i) thirty five percent. of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or
- (ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

- (a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;
- (b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation- For the purpose of this notification, the expression “a complete tax period” means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)-2285)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 940-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>